//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 70 / 2017

उनवान

1 उदय सिंह पुत्र उमराव सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद।
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. गणपत पुत्र रामकरण जाति माली निवासी ग्राम राजगढ, (काला बाग) नसीराबाद, अजमेर।
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 1 स्वयं
2 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 15.6.22

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजगढ की वादग्रस्त आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
5449	0–15–10	6320	0–15–10	2644	0.13
5452	1–17–0	6319	1–17–0	2645	0.24
5448	0–5–10	6319	0–5–10		
5445	0–19–0	6317	0–19–0	2646	0.32
5446	1–1–10	6317	1–1–10		
5452	1–17–0	6324	1–17–0	2641	0.26
5454	2–4–10	6324	2–4–10		
5452	1–17–0	6326	1–17–0	2640	0.21
5454	2–4–10	6326	2–4–10		
5451	1–16–0	6321	0–3–0	2643	0.02
		6323	1–8–0	2642	0.23

हाल खसरा नम्बर 2644/0.13, 2645/0.24 व 2646/0.32 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 2640/0.21, 2641/0.26 व 2642/0.23 व 2643/0.02 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 के पश्चिम दिशा की ओर आवेदनकर्ता की भूमि है। आवेदनकर्ता की खातेदारी भूमि चौसाला खसरा नम्बर 5452 की पूर्वी सींव के अंदर चाह खसरा नम्बर 5453 स्थित है यानि चाह की गोलाई की मुंडेर के बाद प्रार्थी के खेत चौसाला खसरा नम्बर 5452 की पूर्वी सांव को घ्टाकर चाह चौसाला खसरा नम्बर 5453 की गोलाई की मुडेंर के बाद प्रार्थी के खेत चौसाला खसरा नम्बर 5452 की पूर्वी सींव स्थित है। परन्तु वर्तमान नक्शे में चौसाला खसरा नम्बर 5452 के नवीन खसरा नम्बर 2644 व 2645 की सींव की पूर्वी साँव को घ्टाकर चाह [illegible] की गोलाई व मुडेंर व फेरा को आवेदनकर्ता की भूमि व उक्त चाह पूर्वी सींव के बाहर [illegible] वर्तमान राजस्व नक्शे में खेत को कम कर दिया तथा अप्रार्थी के खेत वर्तमान खसरा [illegible] का रकबा बढा दिया अर्थात प्रार्थी के वर्तमान खसरा नम्बर 2644 व 2645 का [illegible] कम कर दिया [illegible] वर्तमान राजस्व मानचित्र वंर्किग मानचित्र तथा चौसाला मानचित्र से विपरित होने के [illegible] जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] किया गया। अप्रार्थी [illegible] ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण से संबधित राजस्व मानचित्र भूप्रवन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया है। प्रार्थी राजस्व मानचित्र दुरूसत करवाना चाहता है तो अप्रार्थी के खेतों का रकवा कम नही होना चाहिये। उक्तानुसार मानचित्र में दुरूस्ती की जाती है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नही है।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी, अप्रार्थी व राज0 पैरोकार की वहस पर मनन किया। ग्राम रालगढ के हाल खसरा नम्बर 2644, 2645, 2646 प्रार्थी की तथा खसरा नम्बर 2640, 2641, 2642 व 2643 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी में उसके खातेदारी खसरा नम्बर का रकवा कम कर दिया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के खेतों का रकवा वढा दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि उसके खेतों का रकबा कम होने पर उसको प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई ऐतराज नही है। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके अनुसार" अप्रार्थी के खसरा नम्बर 2640, 2641 व 2643 का रकबा जमाबंदी अनुसार 0.49 है जबकि वर्तमान नक्शे अनुसार उक्त तीनो खसरा नम्बर का रकवा 0.5880 है इसी प्रकार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2644, 2645, 2646 रकबा जमाबंदी में 0.69 है तथा वर्तमान नक्शे में रकबा 0.6156 है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेतों का रकबा रकबा बरारी करने पर 0.09 है ज्यादा आता है तथा प्रार्थी के खेतों का रकबा रकबा बरारी करने पर 0.0744 है कम आता है। अगर वर्तमान नक्शे में पुराने वंर्किग नक्शें के अनुसार खसरा नम्बर 2645 की सीमा कुऐ की मुडेंर के पूर्वी हिस्से तक कर दी जाये तो दोनो का रकबा बराबर हो जायेगा।"

उक्तानुसार प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार हाल व वंर्किग मानचित्र की तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल अंकन त्रुटिपूर्ण है। उक्त रिपोर्ट में भी अंकित है कि प्रार्थी के खेतों का रकबा कम कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 पे प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से अप्रार्थीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

अतः ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 2644/0.13, 2645/0.24, 2646/0.32 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व वर्किंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र व राजस्व अभिलेख में दुरूस्त की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:36 IST
Reason: SelfAttested